सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 02/2016

1. देवीलाल पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति मेधवाल निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. जैलासिंह पुत्र बधेरा जाति मजहबी निवासी हाथियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला जरिये सरपंच

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थित :
1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री पवन शाक्य, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–08.12.2017**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलधीन आदेश एक पक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत एवं रिकार्ड पर आई साक्ष्य के विपरीत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जैला सिंह के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाके चक 28 एमजेडी तहसील सादुलशहर के खाता सख्या 116/115 के मु.न. 20 तथा प.न. 73/174 के किला नम्बर 16,19,22,23,24,25 व प. न. 74/115 के मु.न. 32 का किला नम्बर 1 ता 5 , 7 ता 8 कुल 3.289 हैक्टेर यानि 13 बीघा पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जबरन काबिज है जिससे कब्जा दिलाया जावें। रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि का कब्जा दिनांक 1.04.2015 को निलामी पर दिनांक 07.04.2015 देने के लिए निलामी इस्तहार निकाला जिस पर दिनांक 07.04.2015 को अपीलार्थी के द्वारा 65000/– रूपये एक वर्ष के लिए ठेका पर दी गई। अपीलार्थी के द्वारा ठेका राशि 65,000/– रूपये जमा करवा दी गई था भौतिक रूप से मौका पर कब्जा अपीलार्थी को सौंप दिया गया और आज दिनांक तक अपीलार्थी ही मौका पर काबिज काश्त है। इसलिए अपीलार्थी ही प्रभावित पक्षकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बना कर कानूनी भूल की है। गुणदोष पर मूल प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष 1969 से लगातार आराजी को निलामी पर दी जा रही है और वर्ष 2015 व 2016 के लिए अपीलार्थी को दिनांक 07.04.2015 को निलामी पर दी गई है मौका पर अपीलार्थी की फसल काश्त है जो पक्क कर तैयार खडी है, दौराने अपील व विचाराधीन यदि अपीलाधीन आदेश की पालना की जाती है तो अपीलार्थी को ना केवल आर्थिक नुकशान होगा बल्कि अन्य कानूनी मामलो में उलझना पडेगा। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है जबकि विवादित भूमि का कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को जरिये अपीलार्थी के पास चला आ रहा है। इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2015 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपील स्वीकार की जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि का कब्जा दिनांक 1.04.2015 को निलामी पर दिनांक 07.04.2015 देने के लिए निलामी इस्तहार निकाला जिस पर दिनांक 07.04.2015 को अपीलार्थी के द्वारा 65000/– रूपये एक वर्ष के लिए ठेका पर दी गई। अपीलार्थी के द्वारा ठेका राशि 65,000/– रूपये जमा करवा दी गई था भौतिक रूप से मौका पर कब्जा अपीलार्थी को सौंप दिया गया और आज दिनांक तक अपीलार्थी ही मौका पर काबिज काश्त है। इसलिए अपीलार्थी ही प्रभावित पक्षकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार नहीं बना कर कानूनी भूल की है। गुणदोष पर मूल प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष 1969 से लगातार आराजी को निलामी पर दी जा रही है और वर्ष 2015 व 2016 के लिए अपीलार्थी को दिनांक 07.04.2015 को निलामी पर दी गई है मौका पर अपीलार्थी की फसल काश्त है जो पक्क कर तैयार खडी है, दौराने अपील व विचाराधीन यदि अपीलाधीन आदेश की पालना की जाती है तो अपीलार्थी को ना केवल आर्थिक नुकशान होगा बल्कि अन्य कानूनी मामलो में उलझना पडेगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत द्वारा जरिये नीलामी काश्त करवाने हेतु अपीलार्थी देवीलाल को **एक वर्ष** के लिए 65000/–रूपये में ठेके पर दी गई थी। देवीलाल ने ठेका राशि ग्राम पंचायत में जमा करवा दी थी। अब एक वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2015 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील पेश की गई थी। जिसमें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला को अतिक्रमी मानते हुए उक्त विवादित भूमि चक 28 एमजेडी के खाता संख्या 116/115 के मु.न. 20 तथा प0न0 73/174 किला नम्बर 16,19,22,23,24,25 व प.न. 74/115 के मु.न. 32 का किला नम्बर 1 ता 5 , 7 ता 8 कुल 3.289 हैक्टर यानि 13 बीघा से बेदखल कर प्रार्थी जैलासिंह को कब्जा प्रदत्त करने के आदेश दिये गये थे। अब चूकि उसके द्वारा बोई गई फसल, **जो एक वर्ष के लिए है , दिनांक 31.03.2016 को एक वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है** लिहाजा यह अपील अब सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः इसी स्तर पर अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/12/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।